भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2974

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026 / 22 श्रावण, 1948 (शक)

केरल में नियोजित प्रवासी कार्यबल

2974. श्री संदोष कुमार पी.

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में नियोजित प्रवासी कार्यबल का कोई आकलन किया है;

(ख) उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और कल्याण हेतु कार्यान्वित केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) सामाजिक सुरक्षा लाभों, सुरक्षित कार्य स्थितियों और कल्याणकारी योजनाओं की सुवाह्यता तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) सृजित करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए उनका पंजीकरण करना और उन्हे सहायता प्रदान करना है। हालांकि, दिनांक 06.08.2026 तक की स्थिति अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 31.85 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर केरल राज्य के पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की संख्या 61,55,545 है।

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया, जो सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल पर एकीकरण करता है और ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में समर्थ बनाता है।

जारी-2/--

असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह(15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, इनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय सरकार ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को अब उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ (ओएसएच) संहिता में समाहित कर लिया गया है। ओएसएच संहिता प्रवासी कामगारों सहित सभी श्रेणी के संगठित और असंगठित कामगारों के लिए गरिमापूर्ण कार्य दशाओं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण कार्यतंत्र टॉल फ्री हेल्पलाइन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितलाभों, वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता और सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान किए जाने का उपबंध करती है। प्रवासी कामगार किसी स्थापन के एक नियमित कामगार के लिए उपलब्ध ईएएसआईसी, ईपीएफओ के हितलाभों और अन्य हितलाभों आदि सहित सभी हितलाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

चार श्रम संहिताएं प्रवासी कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए निम्नलिखित प्रमुख लाभ प्रदान करती हैं:

(i) सभी कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यदशाएं।

(ii) सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए रोजगार का औपचारिकीकरण और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान।

(iv) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित सभी प्रकार के कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार।

(v) असंगठित क्षेत्र को दिए जाने वाले लाभों में अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और नि:शकतता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि शामिल हैं।

(vi) प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा निधि।
